

2023/468

"प्रशासन गाँवों के संग अभियान- 2023"

बागरियावास

प्रतिवेदन पटवारी हल्का-

श्रीमानजी

मुताबिक राजस्व रिपोर्टें ग्राम बागरियावास के खाता सं. 42, 43, 45 व 56 में प्राणी मा नाम सुरेन्द्र सिंह पुत्र नाहर सिंह दर्ज है जबकि अन्य दस्तावेजों तथा आधार कार्ड व ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र में प्राणी मा नाम सुरेन्द्र सिंह पुत्र नारायण सिंह दर्ज है। अतः प्राणी का नाम अन्वय रिपोर्ट में सुरेन्द्र सिंह पुत्र नारायण सिंह किया जाना उचित है।

हस्ताक्षर पटवारी

जांच प्रतिवेदन भू- अभिलेख निरीक्षक वृत्त:- भऊ

श्रीमानजी

प्राणी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण तथा प्रस्तुत दस्तावेज तथा आधार कार्ड तथा ग्राम पंचायत कागजातों पर नारायण सिंह व नाहर सिंह के ली टपानि बर्त के प्रमाण पर- तथा रिपोर्टों पर आधारित कागजातों व कागजातों ग्राम बागरियावास के खाता सं. 42, 43, 45, 56 में सुरेन्द्र सिंह पुत्र नारायण सिंह के खाते पर सुरेन्द्र सिंह पुत्र नारायण सिंह दर्ज किया जाना उचित है।

LR-24
29/05/23

हस्ताक्षर भू-अभिलेख निरीक्षक

जांच प्रतिवेदन तहसीलदार (भू- अभिलेख), श्रीमाधोपुर

श्रीमानजी

मुताबिक रिपोर्ट पटवार हल्का एवं भू-अभिलेख जांच के ग्राम बागरियावास के खाता सं. 42, 43, 45, 56 में खातेदार का नाम सुरेन्द्र सिंह पुत्र नाहर सिंह सुरेन्द्र सिंह दर्ज है। मुताबिक ग्राम पटवारी रिपोर्ट एवं सैलमन दस्तावेजों के आधार पर खातेदार का नाम सुरेन्द्र सिंह पुत्र नारायण सिंह दर्ज किया जाना उचित है।

हस्ताक्षर तहसीलदार (भू-अभिलेख) श्रीमाधोपुर

आदेश (शिविर स्थान:- बागरियावास, दिनांक:- 30.5.23)

प्राणी के अधिकारी, पटवारी व डायरी की रिपोर्ट व तहसीलदार की रिपोर्ट की, तहसीलदार के अधिका पर ग्राम बागरियावास के खाता सं. 42, 43, 45, 56 में सुरेन्द्र सिंह पुत्र नारायण सिंह के खाते पर सुरेन्द्र सिंह पुत्र नारायण सिंह किया जाना उचित है।



शिविर प्रमुख अधिकारी
प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2023
उपखण्ड अधिकारी- श्रीमाधोपुर
पंचायत समिति- श्रीमाधोपुर